

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती राजकुमारी

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री भेरुदास

पत्रावली संख्या : 40/20

जीसीएमएस : 2020/00180

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 09.04.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित है। अधिवक्ता विपक्षी सं. 3, 4 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 फौत होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण को वारिस कायमी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी आज तक वारिस कायमी नहीं कराई गई है। आज भी अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अबेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र अबेट होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

